राजस्व वाद 190/2021
जीसीएमएस नंबर– 2021/331
नानकराम बनाम् बनवारीलाल वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या: 190/2021

वादीगण–

1. नानकराम पुत्र बनवारीलाल
2. मनमोहन पुत्र बनवारीलाल
3. महिपाल पुत्र बनवारीलाल
   जातियान विश्नोई निवासीगण रोटू, तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. बनवारीलाल पुत्र पेमाराम
2. मांगी देवी पत्नी बनवारीलाल
3. सुन्दर पुत्री बनवारीलाल
4. गीता पुत्री बनवारीलाल
   जातियान विश्नोई निवासीगण रोटू, तहसील जायल जिला–नागौर।
5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।
6. शाखा प्रबंधक नागौर सहकारी भूमि बैंक लिमिटेड नागौर शाखा नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 6 परफोंमा पक्षकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 21/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा दुगोली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 1981/223 रकबा 4.0469 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 आपस में भाई बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के माता पिता है। मुतदाविया खेताय प्रतिवादी संख्या 6 के रहन है इसलिये उनको भी पक्षकार बनाया है तथा इस दावे से उनके नाम रहन पूर्ववत रहगी तथा उनके हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2074 में कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी नानकराम के हक बंट कब्जा काश्त में

21/6/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार 1.6188 हैक्टेयर पूर्वी भाग तथा खेत खसरा नंबर 1981/223 रकबा 4.0469 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। वादी मनमोहन के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार 4.0468 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है। वादी महिपाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार 4.0468 मध्य भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम मौजा रोटू के खेत खसरा नंबर 579, 61, 947/61, 62, 99 की खातेदारी होने से मुतदाविया खेतायों में से कोई बंट नहीं रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 से 4 के हक बंट में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने दिनांक 22.10.2021 को न्यायालय हाजा में जरिये अधिवक्ता ईकबालिया जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री हनुमानराम मंडा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने की। ईकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं आदेशिका में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 6 भी परर्फोमा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 6 जो कि परर्फोमा पक्षकार है उनके सम्मन जरिये रजिस्ट्रर्ड ऐडी भिजवाये गये है जिनकी तामिल अप्राप्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार एवं प्रतिवादी संख्या 7 संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह बनवारीलाल, [illegible]करराम पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम दुगोली तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 473 प्रदर्श–1, खाता संख्या 656–प्रदर्श 2, मौजा रोटू खाता संख्या 200–प्रदर्श 3 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबालिया जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबालिया जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबालिया जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबालिया जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 22.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाडा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर एवं 7 को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 22.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा दुगोली के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 1981/223 की भूमि को यथावत तथा शेष मुतदाविया खेत खसरा नंबर 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर की भूमि का हिस्से विशेष की बंटवाड़ा चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजित नहीं है अतः मौजा दुगोली के खेत खसरा नंबर 1980/223 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 17.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 17.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2260 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी नानकराम, मनमोहन, महिपाल, बनवारीलाल, मांगी देवी ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान रामस्वरूप एवं भंवरलाल तथा भू.अभि.निरीक्षक दुगोली की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 3 से 4 के नाम मुतदाविया खेतायों मे से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 3 से 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा कराया जाना न्याय संगत है। अतः मौजा दुगोली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर

1981/223 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा दुगोली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 1981/223 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी नानकराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार 1.6188 हैक्टेयर पूर्वी भाग तथा खेत खसरा नंबर 1981/223 रकबा 4.0469 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. वादी मनमोहन के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार 4.0468 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
3. वादी महिपाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार 4.0468 मध्य भाग रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम अन्य मौजा में खेत खातेदारी होने से मुतदाविया खेतायों में से कोई बंट नहीं रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 से 4 के हक बंट में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 से 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 190/2021

वादीगण–

1. नानकराम पुत्र बनवारीलाल
2. मनमोहन पुत्र बनवारीलाल
3. महिपाल पुत्र बनवारीलाल, **जातियान–विश्नोई निवासीगण–रोटू, तहसील जायल।**

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. बनवारीलाल पुत्र पेमाराम
2. मांगी देवी पत्नी बनवारीलाल
3. सुन्दर पुत्री बनवारीलाल
4. गीता पुत्री बनवारीलाल
   जातियान विश्नोई निवासीगण रोटू, तहसील जायल जिला–नागौर।
5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।
6. शाखा प्रंबंधक नागौर सहकारी भूमि बैंक लिमिटेड नागौर शाखा नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 6 परफोंमा पक्षकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की की ओर से नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा दुगोली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 1981/223 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी नानकराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से, माफिक नजरीनक्शानुसार 1.6188 हैक्टेयर पूर्वी भाग तथा खेत खसरा नंबर 1981/223 रकबा 4.0469 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

21/6/2022

2. वादी मनमोहन के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार 4.0468 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
3. वादी महिपाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार 4.0468 मध्य भाग रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम अन्य मौजा में खेत खातेदारी होने से मुतदाविया खेतायों में से कोई बंट नहीं रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 से 4 के हक बंट में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 से 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकददमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

21/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

2. वादी मनमोहन के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार 4.0468 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
3. वादी महिपाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 1980/223 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार 4.0468 मध्य भाग रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम अन्य मौजा में खेत खातेदारी होने से मुतदाविया खेतायों में से कोई बंट नहीं रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 से 4 के हक बंट में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 से 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

21/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)